छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
पिन कोड–492002

सूचना का अधिकार

क्रमांक एफ 11–1/2013/आरटीआई/सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल, 2013.
प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर्स, (छ.ग.)

विषयः– छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की अनुशंसाओं पर कार्रवाई करने बाबत् ।

---000---

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की **कंडिका–5.10**–छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि माननीय आयोग के समक्ष प्राप्त अपील/शिकायत प्रकरणों में आयोग द्वारा पारित आदेशों का पालन संबंधित विभागों/कार्यालयों द्वारा निर्धारित समय–सीमा में नहीं किया जाता है । अतएव माननीय आयोग द्वारा पारित आदेशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाये, जिन प्रकरणों में आयोग द्वारा जन सूचना अधिकारियों पर शास्ति अधिरोपित की जाती है, उन प्रकरणों में शास्ति संबंधित अधिकारी द्वारा शीघ्र जमा कराने की व्यवस्था कराने हेतु निर्देश दिए जाते हैं । इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 2–19/2006/1/6, दिनांक 27.7.2006 में स्पष्ट निर्देश है कि यदि सूचना से वंचित आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग, सूचना आयोग द्वारा न्यायोचित पाई जाती है तो उसका भुगतान संबंधित को किया जाए तथा इसकी वसूली भी दोषी अधिकारी से करने हेतु विभाग नियमानुसार कार्रवाई करें ।

2/– अतः अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा अपील/शिकायत प्रकरणों में पारित आदेशों का पालन समय–सीमा में किया जाकर सचिव, छ.ग.राज्य सूचना आयोग, रायपुर को भेजना सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

3/– **कंडिका–5.11**– आवेदकों द्वारा आयोग को यह भी जानकारी दी जाती है कि आवेदन के साथ देय राशि नगद रूप में जमा करने के संबंध में आना–कानी की जाती है, जिससे आवेदकों को व्यर्स्थ में ही भटकना पडता है ।

4/– कंडिका–5.11 के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2005/1/6, दिनांक 11.10.2005 की कंडिका 3 एवं 4 में नगद राशि प्राप्त करने का स्पष्ट प्रावधान है । इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2–10/2006/1–6, दिनांक 13.09.2007 तथा छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के निर्देश 01/2006, परिपत्र क्रमांक 03/सी 2773/वित्त/नियम/चार/2006, दिनांक 5.1.2006 द्वारा भी नगद शुल्क जमा करने के लिए समुचित रसीद की व्यवस्था सभी कार्यालयों में सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए है।

.... 2........

5/— अतः उपरोक्तानुसार अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ आने वाले समस्त कार्यालयों में नगद शुल्क जमा करने के लिए सी.जी.टी.सी.6 समुचित रसीद की व्यवस्था तत्काल की जाये, ताकि आवेदकों को किसी प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना न पड़े।

(कमर अली)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
एवं जन सूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 11–1/2013/आरटीआई/सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल, 2013.
प्रतिलिपिः—

सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार, रोड़ शंकर नगर, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 336/स्था./छगरासूआ/13, दिनांक 28.2.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
एवं जन सूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग